न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 05/2025 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राज्य सरकार जरिये श्री प्रहलाद रजक, प्रवर्तन निरीक्षक, महवा

..प्रार्थी

बनाम

श्री भगवानसहाय महावर पुत्र श्री छोटेलाल महावर निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

जब्तशुदा 06 घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी. 31.0 किलोग्राम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने बाबत।

निर्णय

दिनांकः 03.09.2025

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रर्वतन दस्ते के द्वारा पुलिस चौकी गीजगढ के सामने स्थित सर्विस सेंटर की दुकान के निरीक्षण के दौरान अवैध रिफलिंग/भंडारण व एल0पी0जी0 गैस के दुरूपयोग करने पर मौके पर पाये गये कुल 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 31.0 किलोग्राम एल0पी0जी0 को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख प्राप्त किया गया।
3. विभागीय पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य विभाग के पत्र दिनांक 10.9.2024, 19.9.2024, 7.10.2024 द्वारा दिनांक 17.9.2024 से दिनांक 27.9.2024 तक की निरन्तरता में संपूर्ण जिले में घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध गैस रिफलिंग विशेष अभियान के तहत गठित जांच दल द्वारा दिनांक 25.3.2025 को प्रवर्तन निरीक्षक रामगढ पचवारा, प्रवर्तन निरीक्षक महवा द्वारा पुलिस चौकी गीजगढ के सामने स्थित सर्विस सेंटर की दुकान में अवैध रिफलिंग की सूचना हेतु निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन दल के द्वारा पुलिस चौकी गीजगढ के सामने स्थित सर्विस सेंटर की जांच करने पर 6 घरेलू सिलेण्डरों का अवैध भंडारण करना पाया गया। वक्त निरीक्षण भगवानसहाय महावर ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया। मौके पर जांच करने पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिनमें से 3 घरेलू गैस के सिलेण्डर भरे हुए तथा 3 घरेलू गैस के सिलेण्डर खाली पाये गये। भगवानसहाय महावर द्वारा 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों के संबंध में दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार भगवानसहाय महावर द्वारा घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का उपयोग, अवैध भंडारण प्रथम दृष्टया पाया गया। मौके पर अमित गैस ऐजेन्सी दौसा के ड्राईवर बच्चू सिंह गुर्जर पुत्र चंदाराम गुर्जर को बुलाकर हैंगिग मशीन से तोलने की कार्यवाही की गई। मौके पर प्राप्त सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:11:52 IST
Reason: SelfAttested

कसं	सिलेण्डर श्रेणी	नाम गैस कंपनी	सीरियल नंबर	भरे सिलेण्डर का वजन किलोग्राम	खाली का किलोग्राम सिलेण्डर वजन	शुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम में)
1	घरेलू	आईओसीएल	175539	15.6	15.6	0
2	घरेलू	आईओसीएल	848882 बी	15.6	15.6	0

जिला कलक्टर, दौसा

3	घरेलू	बीपीसीएल	041658 टी	18.7	15.7	3.0
4	घरेलू	बीपीसीएल	573373 एस	15.7	15.7	0
5	घरेलू	बीपीसीएल	661700	28.4	15.4	13.0
6	घरेलू	बीपीसीएल	400772 एच	32.1	17.1	15.0
						कुल 31.0

इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्त 06 घरेलू सिलेण्डरों एवं उनमें भंडारित 31.0 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस, को जब्त कर कब्जे राज लिया गया। उक्त जब्त गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी.व अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से अमित गैस ऐजेन्सी दौसा के ड्राईवर बच्चू सिंह गुर्जर पुत्र चंदाराम गुर्जर को सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार दुकान के मालिक श्री भगवानसहाय महावर द्वारा उक्तानुसार द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 31.0 किलोग्राम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावें।

4. अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने विभागीय पैरोकार सरकार के कथनों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध गैस रिफलिंग विशेष अभियान के तहत गठित जांच दल द्वारा दिनांक 25.3.2025 को प्रवर्तन निरीक्षक रामगढ पचवारा, प्रवर्तन निरीक्षक महवा द्वारा पुलिस चौकी गीजगढ के सामने स्थित सर्विस सेंटर की दुकान में अवैध रिफलिंग की सूचना हेतु निरीक्षण किया गया। जिस पर प्रवर्तन दल के द्वारा पुलिस चौकी गीजगढ के सामने स्थित सर्विस सेंटर की जांच करने पर 6 घरेलू सिलेण्डरों का अवैध भंडारण करना पाया गया। वक्त निरीक्षण भगवानसहाय महावर ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया। मौके पर जांच करने पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिनमें से 3 घरेलू गैस के सिलेण्डर भरे हुए तथा 3 घरेलू गैस के सिलेण्डर खाली पाये गये। भगवानसहाय महावर द्वारा 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों के संबंध में दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। मौके पर स्टाफ व गवाहों के समक्ष जांच करने पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग करना पाया गया। इस प्रकार श्री भगवानसहाय महावर द्वारा एल0पी0जी0 आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी श्री भगवानसहाय महावर ने मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। हाल ही में भांकरोटा की गैस त्रासदी जैसी दुखद घटना भी हुई है। इस प्रकार का उक्त कृत्य **L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order,** 2000 के खंड 3, 4, 6, 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित जब्त शुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 31.0 किलोग्राम को राजसात **(Confiscate)** किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:11:52 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 03 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:11:52 IST
Reason: SelfAttested